







# विद्यार

अमेरिकी कंपनी ने वायदा कारोबार से भारतीय निवेशकों से 2 लाख करोड़ ढगे

अमेरिका की कंपनी जेन स्ट्रीट हाई फ़िक्रेंसी ट्रेडिंग फर्म है। इसने पिछले 4 सालों में भारत के वायदा कारोबार में ट्रेडिंग के नियमों का उल्लंघन कर लाखों करोड़ रुपए की लूट भारत से की है। भारतीय प्रतिभूति और निवेशकों को अंख बंद करके बैठी रही। भारत के वायदा कारोबार से जुड़े 91 फ़िसदी निवेशकों को पिछले 4 सालों से यह कंपनी लूट रही थी। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है। उसके अनुसार 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट इसने पिछले वर्षों में की है। इसके पहले के आंकड़ों को अभी तक सेबी ने उजागर नहीं किया है। जब इस मामले की कलई खुली, सेबी ने जेन स्ट्रीट और उसकी सहयोगी कंपनियों पर कार्यवाही करते हुए 4843.57 करोड़ रुपए जमा करने के आदेश दिए हैं। इस कंपनी ने पिछले दो वर्ष जिसमें वर्ष 2024 में लगभग 50000 करोड़ रुपए 2025 में 74812 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। कंपनी ने निपटी के 50 इंडेक्स वाले शेयरों में हाई फ़िक्रेंसी ट्रेडिंग वाले सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए, पिछले 4 वर्षों से धोखाधड़ी की जा रही है। कंपनी सुबह के समय भारी मात्रा में वायदा कारोबार के शेयर और प्यूचर्स में कारोबार करती थी। वायदा कारोबार में इन कंपनियों की खरीदी के कारण जब तेजी आ जाती थी। तो खरीदे हुए शेयर कुछ ही सेंकड़ों में बेचकर भारी मुनाफा कमाकर अमेरिका ले जाती थी। इसकी जानकारी देने वाले विहसिल ब्लोअर मयंक बंसल का दावा है। जेन स्ट्रीट ने जनवरी 2023 से मार्च 2025 तक 36502 करोड़ रुपए का अवैध मुनाफा कमाया है। इसकी सहयोगी कंपनियों के आंकड़े को भी सामने लाया जाए तो पिछले 4 वर्षों में वायदा कारोबार में जो 91 फ़िसदी छोटे भारतीय निवेशक थे। उन्हें लाखों करोड़ से रुपए का घाटा हुआ है। अमेरिका की कंपनी ने वायदा कारोबार में इंडेक्स की 50 कंपनियों में शॉर्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए भारी मुनाफा कमाया है। भारतीय शेयर बाजार से कमाए गए मुनाफे को कंपनी अमेरिका ले गई है। भारतीय शेयर बाजार का पैसा सिंगापुर और अमेरिका में बढ़े पैमाने पर अवैध तरीके से ट्रांसफर किया गया है। वायदा कारोबार के भारतीय 91 फ़िसदी निवेशकों को भारी नक्सान हुआ है। वायदा कारोबार के 50 इंडेक्स वाली सूची के शेयरों में निवेश करने वाले धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। 3 जुलाई 2025 को सेबी ने जेन स्ट्रीट और उसकी सहयोगी कंपनियों के कारोबार पर प्रतिबंध लगाया है। सेबी ने 4843.57 करोड़ रुपए जमा करने के आदेश दिए हैं। इस कंपनी ने लाखों करोड़ रुपए की लट भारतीय शेयर बाजार से अवैध तरीके से की है। सेबी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को पल-पल की खबर होती है। शिकायत करने के बाद भी दोनों नियामक संस्थाओं ने कोई कार्यवाही कंपनी पर नहीं की। 4 साल से यह गोरख धंधा चलता रहा, अब जाकर कार्रवाई की गई है। अमेरिका की कंपनी अमेरिका में मामला दर्ज कराने की बात कर रही है। भारतीय शेयर बाजार, विदेशी कंपनियों को मुनाफा देने वाला सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है। विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय शेयर बाजार सोने के अंडे देने वाला बाजार है। भारत की वित्तीय संस्थाओं द्वारा पिछले एक दशक में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों में भारी निवेश किया है। म्यूचुअल फंड के जरिये करोड़ों भारतीय छोटे निवेशकों ने शेयर बाजार में निवेश किया है। पिछले 10 साल से विदेशी निवेशकों के लिये मुनाफा बसूली का सबसे बड़ा बाजार भारत का शेयर बाजार है। दुनिया के किसी भी शेयर बाजार में इस तरह की तेजी देखने को नहीं मिली, जो भारतीय शेयर बाजारों में देखने को मिली। निवेशकों के हितों को सुरक्षित रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सेबी की होती है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को भी इस तरह के लेनदेन पर निगाह रखनी थी। समय रहते कार्रवाई करनी थी। तीनों आंख बंद करके बैठे रहे। रही-सही कसर केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूरी की है। जब भारत से अरबों रुपए की राशि हर महीने विदेश जा रही थी। शेयर बाजार के जरिए काले धन को विदेशों से भारत के शेयर बाजार में निवेश किया लाया जा रहा था। यहां से मुनाफा बसूली करके धन वापस ले जाया जा रहा था। इस मामले की कई शिकायतें पिछले वर्षों में हुई हैं। किसी भी मंस्त्र ने जांच करने की जटिल नहीं रखाई।

# मतदाता सूची में सुधार पर सुप्रीम सहमति सराहनीय

लिलित गर्ग

बिहार में मतदाता सूची सुधार पर सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी सिफर एक न्यायिक फैसला नहीं, बल्कि लोकतंत्र के मूल्य को पुष्ट करने वाला ऐतिहासिक एवं प्रासंगिक निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूची की समीक्षा के लिए आधार, राशन और वोटर कार्ड को भी मान्यता देने का सुझाव देकर आम लोगों की मुश्किल हल करने की कोशिश की है। इससे प्रक्रिया आसान होगी और आशंकाओं को कम करने में मदद मिलेगी। बेशक, फर्जी नाम मतदाता सूची में नहीं होने चाहिए लेकिन ऐसे अभियानों के दौरान आयोग का जोर ज्यादा से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से निकालने के बजाय, इस पर होना चाहिए कि एक भी नागरिक चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित न रह जाए।



वपक्ष को चाहिए कि वह इस फैसले को राजनीतिक हार न माने, बल्कि इसे एक अवसर माने, जनविश्वास अर्जित करने का, लोकतंत्र में आस्था बढ़ाने का और सबसे जरूरी, राष्ट्रित को राजनीति से ऊपर रखने का। मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य केवल बिहार ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ करना चाहिए।

भारतीय लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि होता है। चुनाव आयोग यदि चुनाव कराने को तैयार है, और इसकी जुड़ी किन्हीं प्रक्रियाओं में कोई त्रुटि या खामी है तो उसका सुधार करना सविधान सम्मत है, तो फिर इस पर प्रश्नचिन्ह लगाने का अधिकार किसी भी राजनीतिक दल को नहीं होना चाहिए। लेकिन जो प्रश्न जनता के मानस को उद्देलित करता है, वह यह है कि विपक्ष बार-बार चुनावी प्रक्रियाओं, राष्ट्रीय हितों या सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी एकमत होकर विरोध करता है, आखिर क्यों? बिहार में एसआईआर को लेकर जो याचिकाएं और बहसें सामने आईं, उनमें एक प्रमुख तर्क यह था कि समय उपयुक्त नहीं है, सरकार अस्थिर है, या सामाजिक समीकरण तैयार नहीं हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जनता को प्रतिनिधित्व देने का अधिकार सर्वोपरि है। लेकिन त्रुटिपूर्ण या फर्जी मतदाता सूची से चुनाव करना भी लोकतंत्र का अपमान है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि देर-सवेरे नहीं, संविधानिक कर्तव्य को समय पर निभाना जरूरी है।

अदालत ने एसआईआर पर कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन अपने इरादे की ओर इशारा तो कर ही दिया है। अदालत ने टाइमिंग को लेकर जो सवाल उठाया, वह उचित प्रतीत होता है। बिहार में इसी साल के अखिल तक विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इतनी विस्तृत कवायद के लिए शायद उतना वक्त न मिल पाए, जितना मिलना चाहिए। बिहार में एसआईआर को लेकर जो असमंजस है, उसकी एक वजह निश्चित ही टाइमिंग है। जिनके पास जरूरी डॉक्युमेंट नहीं हैं, वे इतनी जल्दी उनका इंतजाम नहीं कर पाएंगे। हालांकि आयोग ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी व्यक्ति को भी अपनी बात रखने का मौका दिए बिना मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। वैसे बिहार में चुनाव को देखते हुए ही फर्जी मतदाताओं की संख्या बढ़ी या तथाकथित राजनीतिक दलों ने इन फर्जी मतदाताओं को बढ़ाया है। ऐसे में इन फर्जी मतदाताओं पर कार्रवाई अपेक्षित है। यह मामला केवल बिहार तक सीमित नहीं रहना चाहिए। दूसरे राज्यों में मतदाता सूचियों की समीक्षा किस तरह होगी, यह बिहार में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। ऐसे में स्वाभाविक ही नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार इस प्रक्रिया का कैसा स्वरूप तय होता है? भारतीय राजनीति में विपक्ष का कार्य सरकार की नीतियों पर निगरानी रखना है, आलोचना करना है, लेकिन वह आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए, राष्ट्र-विरोधी नहीं। आज हम देख रहे हैं कि आर्टिकल 370 हटाना हो,

नागरिकता संशोधन अधिनियम-सीएए, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर-एनआरसी जैसे कानून हों, अग्निपथ योजना हो, या राम मंदिर निर्माण-लगभग हर मुद्दे पर विपक्ष ने एकमत होकर विरोध किया है। चाहे चीन या पाकिस्तान से जुड़ी संवेदनशील मसले हों, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के निर्णय, विपक्ष अक्सर उन बिंदुओं पर एक सुर में सरकार का विरोध करता है, जबकि ऐसे राष्ट्रीयता के मुद्दों पर विपक्ष को सरकार एवं देश के साथ एकजुटा दिखानी चाहिए। यह संयोग नहीं, एक दूषित राजनीतिक रणनीति बनती जा रही है कि 'जो सरकार करे, उसका विरोध करो', चाहे मुद्दा देशहित का ही क्यों न हो। इन स्थितियों में आम जनता का एक बड़ा सवाल है कि विपक्ष देश के साथ है या सिर्फ सत्ता की भूख के साथ? क्या चुनाव प्रक्रिया पर विरोध करना लोकतंत्र का मज़ाक नहीं है? क्या न्यायपालिका के निर्णयों को चुनौती देना सिर्फ स्वार्थ की राजनीति नहीं? क्या राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार के साथ खड़े होने से विपक्ष की राजनीति कमज़ोर हो जाएगी? जब विपक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करता है, तो उसका नैतिक बल कमज़ोर होता है, और जनता का विश्वास टूटता है।

भारतीय राजनीति को अब रचनात्मक विपक्ष की ज़रूरत है, ऐसा विपक्ष जो सत्ता में नहीं है, फिर भी राष्ट्र के लिए सत्ता के साथ खड़ा हो सकता है। जो यह समझ सके कि लोकतंत्र सरकार और विपक्ष दोनों से चलता है, लेकिन राष्ट्र सबसे ऊपर है। बिहार में चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति इस बात का प्रतीक है कि संस्थाएं अभी भी न्याय और संवैधानिकता की रक्षा कर रही हैं। लेकिन विपक्ष यदि इस निर्णय पर भी नकारात्मक रवैया अपनाता है, तो यह जनता की आकांक्षाओं, लोकतंत्रिक मूल्यों और विकासशील भारत की दिशा के विरुद्ध होगा। विपक्ष को चाहिए कि वह अपनी राजनीति को जनहित से जोड़े, जनविरोध से नहीं। विपक्ष यदि राष्ट्रहित में सोचने की दिशा में खुद को परिवर्तित नहीं करता, तो वह धोरे-धीरे प्रासंगिकता खो देगा।

भारतीय लोकतंत्र की नींव निष्पक्ष, पारदर्शी और समावेशी चुनावों पर टिकी होती है। इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मज़बूत बनाने की दिशा में बिहार में चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया मतदाता सूची सुधार अभियान हाल ही में राष्ट्रीय बहस का केंद्र बना। लैंकिन जिस बात ने सबसे अधिक ध्यान खींचा, वह यह है कि इस पूरी कवायद के दौरान विपक्ष एक बार फिर एकजुट होकर इसका विरोध करता नजर आया, भले ही मामला राष्ट्रित और लोकतंत्र की मजबूती से जुड़ा हो। बिहार में राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्टों को दुरुस्त करने, फर्जी वोटरों की छन्नी, और नए योग्य मतदाताओं को जोड़ने का जो कार्य प्रारंभ किया, वह एक सामान्य प्रशासनिक कार्य नहीं था, बल्कि एक लोकतांत्रिक शुद्धिकरण था। यह सुधार न केवल चुनावों को पारदर्शी बनाता है, बल्कि नागरिक अधिकारों की रक्षा भी करता है। परन्तु कृष्ण राजनीतिक दलों ने इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताई और इस जातीय आंकड़ों, राजनीतिक संतुलन और चुनावी गणित से जोड़कर कोर्ट का रुख किया।

सुप्रीम कोर्ट ने साप शब्दों में कहा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण संविधान सम्मत प्रक्रिया है और इसे बाधित नहीं किया जा सकता। अदालत ने चुनाव आयोग की कार्रवाई को न केवल वैध बताया, बल्कि उसे लोकतंत्र के लिए आवश्यक भी बताया। यह फैसला यह भी दर्शाता है कि अब समय आ गया है जब चुनावी ईमानदारी को राजनीतिक शोरगुल और वोट बैंक की राजनीति के शोर में दबाया नहीं जा सकता। विपक्ष की प्रतिक्रिया लगभग स्वचालित होती जा रही है, चाहे मुद्दा हो आर्थिक सुधार का, रक्षा नीति का, विदेश नीति का, या अब मतदाता सूची सुधार का। प्रश्न यह उठता है कि क्या हर सुधार प्रक्रिया, चाहे वह कितनी भी लोकतांत्रिक या पारदर्शी हो, विपक्ष के लिए मात्र एक राजनीतिक खतरा है? विपक्ष का यह रवैया यह दर्शाता है कि उसे संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा कम और अपनी राजनीतिक गणनाओं पर भरोसा अधिक है।

एक सामान्य नागरिक के लिए सबसे बड़ा अधिकार है वोट देना। यदि कोई सुधार प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि एक भी फर्जी वोट सूची में न हो, कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं, जाति, धर्म या राजनीति से ऊपर उठकर नागरिकता के आधार पर मतदाता सूची बने, तो फिर उसका विरोध क्यों? विपक्ष इस डर से ग्रस्त है कि यदि मतदाता सूची साफ-सुधरी हो गई, तो उनके कथित परंपरागत वोट बैंक कमजोर हो सकते हैं। उन्हें डर है कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरण बदल सकते हैं। लेकिन यह तर्क लोकतंत्र के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है। लोकतंत्र 'जो है, उसे प्रतिबिंबित करे', न कि 'जो

**कौशलता विकास परिवर्तन के वाहक युवाओं की समृद्धि के विकास का मूल मंत्र हैं**



कार्यशालाएं और संचाद आयोजित किए जाते हैं जिनमें युवाओं को कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता के अवसरों के बारे में जानकारी दी जाती है। भागीदारी-शिक्षक, अभिभावक, मार्गदर्शक, प्रशिक्षण प्रदाता और अन्य सभी को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि युवा आवश्यक कौशल प्राप्त करें। दिनांक 1 जुलाई 2025 को देर शाम माननीय उपराष्ट्रपति एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कौशल विकास के बारे में कहा भारतीय संविधान में 2 दृश्य चित्रणों में एक गुरुकूल की भी छवि है। हमेशा से ज्ञान के दान में विश्वास करते रहे हैं।

कोचिंग सेंटरों को अपने बुनियादी ढांचे का उपयोग कौशल केंद्रों में बदलने के लिए करना चाहिए। मैं सिविल सोसाइटी और मेरे सामने और बाहर मौजूद जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूँ कि वे इसकी बीमारी की गंभीरता को समझें। उन्हें शिक्षा में विवेकशीलता बहाल करने के लिए एकजुट होना होगा। हमें कौशल के लिए प्रबल प्रशिक्षण की

सखूत आवश्यकता है।  
साथियों बात अगर हम युवा कौशलता के लिए  
भारत द्वारा उठाए गए कदमों की करें तो, युवाओं  
की स्कूल डेलीलेपर्मेंट के लिए उठाए गए कदम  
निम्नलिखित हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र

सखूत आवश्यकता है। साथियों बात अगर हम युवा कौशलता के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों की करें तो, युवाओं की स्किल डेवलपमेंट के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (संकल्प)=इसका ध्यान अभिसरण और समन्वय के माध्यम से जिला-स्तरीय स्किल्स पारिस्थितिकी तंत्र पर है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे विश्व बैंक के साथ सहयोग किया गया है।



# 'ऐसे लोगों की जरूरत जो सरकार पर केस करें'

नागपुर, एजेंसी। केंद्रीय संडक परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, समाज में कुछ ऐसे लोग भी होने चाहिए, जो सरकार के खिलाफ केस दाखिल कर सकें। अगर सिस्टम में अनुशासन चाहिए तो सरकार के खिलाफ अदालत का सहारा लेना जरूरी है। उन्होंने कहा- कई बार अदालत का आदेश ऐसे काम भी करवा देते हैं, जो सरकार नहीं करवा पाता। समाज में कुछ लोगों को सरकार के खिलाफ अदालत में याचिकाएं दाखिल करनी चाहिए। इससे नेताओं और सिस्टम में अनुशासन आता है।

गडकरी ने कहा कि ऐसा इच्छिता व्यक्ति जनता को लुभाने की राजनीति नेताओं-मौजूदों के आड़े आती है और वे जनहित में कदम नहीं उठा-



पाते। गडकरी ने कहा कि ऐसा इच्छिता व्यक्ति जनता को लुभाने की राजनीति नेताओं-मौजूदों के आड़े आती है।

उन्होंने कहा कि प्रशासन में अनुशासन बाधा रखने के

लिए, वह जरूरी चीज़ है। दरअसल, 13 जुलाई को नितिन गडकरी ने नागपुर पहुंचे थे। वहाँ वहाँ प्रकाश देशपांडे सूची कशल संस्करण पुस्तकार समारोह में उन्होंने ये बात कही थी समाज में जागरूक-जुझारी लोगों की मौजूदगी

## गंभीर रूप से झुलसे मरीजों व जन्मजात विकृतियों वाले बच्चों के इलाज में भिली उल्लेखनीय सफलता

भोपाल, एजेंसी। कल्पना कीजिए-एक झटका, एक हादसाज और आपका हाथ ऐसा हो जाए जैसे वह शीर का हिस्सा ही नहीं! न हिल सके, न कुछ पकड़ सके। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि ब्रैकिंगल एस्ट्रेसस इंजरी की हकीकत है। राहत को बात यह है कि इस गंभीर समस्या का इलाज न केवल संभव है, बल्कि सफल भी हो रहा है। शनिवार को एस्प्स भोपाल में इसी विषय पर एक फिल्म राष्ट्रीय सीएमई (सत्र चिकित्सा विश्वास) का आयोजन किया गया। इसमें देशभक्त के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत एस्प्स भोपाल के कार्यालयक निदेशक डॉ. अजय सिंह, डॉ. श्रीनिवास राष्ट्रीय सीएमई के अध्यक्ष तकनीकी, मूल्यांकन कर्तव्यों और पुरुषवासिन विधियों पर चर्चा हुई। विभागाध्यक्ष ने बताया कि विभाग ने गंभीर रूप से झुलसे मरीजों और जन्मजात विकृतियों वाले बच्चों के इलाज में उल्लेखनीय सफलता पाई है। उन्होंने अनुसंधान परियोजनाओं और भविष्य की योजनाओं की जानकारी भी दी। आयोजन सचिव ने कहा कि प्लास्टिक संर्जीरों को केवल सुंदरता से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। यह उन लोगों की जिंदगी संवर्ती है जो दूर्घटना, जलन, या विकृति के कारण सामाजिक जीवन से कट जुके होते हैं। यह इंजरी तब होती है जब कंधे और गर्दन के बीच भी नेपाली वाले मात्र नहीं (ब्रैकिंगल एस्ट्रेसस) को झटका या खिंचाव लगता है। यह खिंचाव इतना गंभीर होता है कि हाथ की शक्ति और संवेदन खत्म हो सकती है। ये नसे शीर के 'केबल केनेशन' जैसी होती हैं-एक बार कर जाएं तो हाथ और दिमाग का संपर्क टूट जाता है।

## पॉवर हाउस नंबर 2 ने एक दिन में ड्राई ऐश निष्पादन का नया कीर्तिमान रचा

भोपाल, एजेंसी। मध्यप्रदेश पॉवर हाउसिंग कंपनी के श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना दोंगलिया (खंडवा) के 660-660 मेगावाट क्षमता के पॉवर हाउस नंबर-2 ने गत दिवस कुल 140 बल्कर ट्रक ड्राइ ऐश निजी कपनियों को भेजकर निष्पादन का नया रिकार्ड कार्यम किया। यह पावर हाउस नंबर-2 की स्थानीय के बाद ड्राइ ऐश निष्पादन का सर्वश्रेष्ठ रिकार्ड है। उल्लेखनीय है कि पावर हाउस नंबर-2 की प्रथम यूनिट 18 नवंबर 2018 को और द्वितीय यूनिट की कमीशनिंग 28 मार्च 2019 को हुई थी। उल्लेखनीय है कि पूर्व पॉवर हाउस नंबर-2 द्वारा 27 एश का निष्पादन किया गया था। श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना में पूर्व में ड्राइ ऐश के निष्पादन में कई तकनीकी समस्या आ रही थीं। इस समस्या का ताप विद्युत परियोजना के अधिकारियों द्वारा अपनी सूझबूझ व तकनीकी काशल से निराकरण कर नया कीर्तिमान रखा गया। इससे पूर्व श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना के 600-600 मेगावाट क्षमता के पावर हाउस नंबर-1 ने इसी वर्ष 30 मार्च को अधिकतम 230 बल्कर ट्रक ड्राइ ऐश के निष्पादन का कीर्तिमान बनाया।

## कार्यपरिषद की बैठक में पहुंचा मामला?

भोपाल, एजेंसी। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (यूआईटीओ) में विवात वर्षों से लगातार अनुशासनहीनता और आतंकिक विवात की स्थिति बनी हुई है। इसके द्विपार्श्व ऑफ कॉर्पोरेट साइंस इंजीनियरिंग के विभाग के दो सहायक प्राध्यापक डॉ. मनीष अहिरवार और उदय चौरसिया पर विभिन्न आरोप लगे हैं, जिसमें संविधान प्राध्यापकों से टकराव, पुनर्नियुक्ति में पक्षपात, बोक-इन इंटरव्यू में बाधा, छात्रों के मूल्यांकन में दुर्भवना, और शारीरिक झगड़े जैसी घटनाएं शामिल हैं। एक बार को कॉर्पोरेट फैकल्टी द्वारा रेगुलर फैकल्टी बाद आरोप लगाए जा रहे हैं। अब यह मुद्रा गत दिवस हुई कार्य परिषद की बैठक में पहुंचा।

भोपाल, एजेंसी। सच्चे जनप्रतिनिधि व्यक्ति होते हैं जो जरूरत के समय सिर्फ बातें नहीं बल्कि अपने अच्छे कार्यों से मिसाल पेश करते हैं। जबलपुर जिले के कुंडम विकासखंड के ग्राम पड़ियारा में हाल ही में तैयार हुआ 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' इसका जीवंत उदासन है। यह काई साधारण स्वास्थ्य केंद्र नहीं बल्कि स्थानीय विधायक श्री संतोष वरकड़े की दूरदर्शिता, संवेदनशीलता और अपने क्षेत्र के प्रति गहरे समर्पण का प्रतीक है।

फटवारी 2023 में जब पड़ियारा गांव के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति मिली, तो पैर क्षेत्र में उत्साह की भूमि उपलब्ध नहीं होने से कई महीनों तक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण शुरू नहीं हो

## भारत और नेपाल के संबंध आत्मीयता से जुड़े हुए हैं

भोपाल, एजेंसी। लोक स्वास्थ्य एवं विकास विभाग राज्य मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा है कि भारत और नेपाल के बीच संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे संस्कृतिक, ऐतिहासिक और आत्मीयता से जुड़े हुए हैं। राज्य मंत्री श्री पटेल भोपाल में आयोजित भारत-नेपाल अधिकृत संघयोग सम्मेलन 2025 को संवेदित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार इन संबंधों को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और मूल्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश को भारत-नेपाल आधिक साझेदारी का सेतु बनाने के लिये हासंभव कर्यालय किए जाएं। उन्होंने नेपाल के प्रतिनिधिमंडल का संवागत करना तथा नेपाल भारत-नेपाल आधिक संघयोग सम्मेलन 2025 का आयोजन नेपाल द्वातावास, भारत में स्थित पौरीचाड़ी चैंबर ऑफ कार्मस एंड इंडस्ट्री के इंडिया-नेपाल सेंटर और मध्यप्रदेश राज्य चैंपियर के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। सम्मेलन में भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करना तथा निवेश, व्यापार, पर्यावरण, शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में नई सभावनाओं में सहयोग के लिए विचार-विमर्श किया गया। सम्मेलन में नेपाल द्वातावास की मंत्री-परमार्शदाता श्री अंविका जोशी और अधिकृत परामर्शदाता श्री रवींद्र जंग थापा ने प्रस्तुतिकरण किया। उन्होंने बताया कि भारत



नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है,

जहाँ नेपाल अपने कुल नियांत का लगभग 68

प्रतिशत भारत को करता है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत से नेपाल को 7.041 बिलियन

डॉलर का नियांत और नेपाल से भारत को 829.71 मिलियन डॉलर का नियांत हुआ। भारत की लगभग 150 कंपनियां वर्तमान में नेपाल में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जनक-पुर स्थित प्रसिद्ध जानकी मंदिर का निर्माण मध्यप्रदेश के टीकामढ़ी की रानी द्वारा करवाया गया था, जो भारत-नेपाल के ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक है। सम्मेलन में पीपुल्डीसीसीआई मध्यप्रदेश के चैटर के सह-अध्यक्ष डॉ. अनुपम चौकसे और श्री मनोज मार्दी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मनव संग्रहालय भोपाल के निदेशक डॉ. अमिताभ पांडे, एमएसएमई विभाग, मध्यप्रदेश सरकार के सह-अध्यक्ष श्री पंकज शर्मा, एस्प्स भोपाल के निदेशक डॉ. अजय सिंह, डॉ. यूनिसेफ भोपाल से श्री अनिल गुलाटी, मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड में निवेश संवर्धन के निवेशक श्री राजेश गुप्ता, परंजल फूड्स एमपी एवं सीमीजों के वैज्ञानिक सलाहकार डॉ. राजेश सक्सेना, इंडिया-नेपाल संस्कृति के सचिव श्री अतुल कुमार भट्टा, अन्तर्राष्ट्रीय वार्षिकी सुशासन एवं संस्थान के विवरण के लिए विवरण द्वारा दिया गया। उन्होंने इस क्षेत्र में तकनीकी सहयोग हेतु यूएई के प्रतिवेदनों को आमंत्रित किया।

महादेव मंदिर में सुबह 3 बजे भगवान भोलेनाथ का 151

किलो गाय के थी से अभिषेक किया गया है। महात शक्ति व्यास ने बताया- 3100 किलो आमतौर पर भोलेनाथ की सजावट की अनुमान है।

राजस्थान के जयपुर में भौमी राजीव ने दर्शन की अनुमान है।

राजस्थान के जयपुर में गुरुवारी के बाजार के लिए आमतौर पर भोलेनाथ की सजावट की अनुमान है।

वृषी के वार



